



अभिलेख उपस्थापित।

-23

प्रदीप कुमार पिता स्व० बिरजू राम, साकिन शहर हजारीबाग, मुहल्ला कानी बाजार, मुनका बगीचा गली, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर हजारीबाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्बेकला, थाना नं०-173, खाता संख्या-68, प्लॉट संख्या-979, 940, 949, 954, 992, 1001 एवं 1020 रकबा क्रमशः 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.01 एकड़ एवं 0.0050 एकड़ कुल रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसिमिल) (चार डिसिमिल) भूमि शोभा देवी पति जीवन याकुर, निवास स्थान ग्राम-सिंधानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22025672 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-537/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3009/रा० दिनांक 10.08.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 438 दिनांक 04.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं केता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी है। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयत मदवा कहार वल्द मुनदील कहार है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 11.92 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि है। ऑनलाईन पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-39/11 खाता संख्या-68 कुल रकबा 20डी० प्रदीप कुमार पिता बिरजू राम के नाम जमाबंदी दर्ज है। लगान वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदक के स्वयं के नाम से पंजी-11 में जमाबंदी दर्ज है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 0.16 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अ. क्र. टिप्पणी
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4b से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में प्रदीप कुमार पिता स्व० बिरजू राम, साकिन शहर हजारीबाग, मुहल्ला कानी बाजार, मुनका बगीचा गली, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर हजारीबाग, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्बेकला, थाना नं०-173, खाता संख्या-68, प्लॉट संख्या-979, 940, 949, 954, 992, 1001 एवं 1020 रकवा क्रमशः 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.0050 एकड़, 0.01 एकड़ एवं 0.0050 एकड़ कुल रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि शोभा देवी पति जीवन ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-सिंधानी, पोस्ट-कोर्ता, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">   अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: center;">   अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	<p style="text-align: right;">वेदक</p>